संख्या - 38 /2020/बी-2-240/दस-2020-1/2020

प्रेषक,

आलोक दीक्षित,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 20 अक्टूबर, 2020

विषय-राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अन्तर्गत नागर स्थानीय निकायों हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में व्यवस्थित सामान्य समनुदेशन की धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबध में अवगत कराना है कि राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-61 मे नगरीय निकायो के लिये सामान्य समनुदेशन हेतु व्यवस्थित धनराशि रूपये 9300.00 करोड में से वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-बी-2-91/दस-2020-1/2020, दिनांक 10.04.2020 द्वारा रूपये 775.00 करोड, शासनादेश संख्या-26/2020/बी-2-131/दस-2020-1/2019, दिनांक 13.07.2020 द्वारा रूपये 775.00 करोड, शासनादेश संख्या-28/ 2020/बी-2-157/दस-2020- 1/2019, दिनांक 31.07.2020 द्वारा रूपये 775.00 करोड, शासनादेश संख्या-35/2020/बी-2- 196/दस-2020-1/2020, दिनांक 14.09.2020 द्वारा रूपये 775.00 करोड, इस प्रकार कुल रूपये 3100.00 (रूपये तीन हजार एक सौ मात्र) करोड की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

2- अब नागर स्थानीय निकायों के लिये सामान्य समनुदेशन हेतु रूपये 775.00 करोड (सात सौ पचहत्तर करोड मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा रही है जिसे मिलाकर चालू वित्तीय वर्ष मे नागर स्थानीय निकायों हेतु सामान्य समनुदेशन मद में स्वीकृत कुल धनराशि रूपये 3875.00 करोड हो जायेगी।

3- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ कि अब स्वीकृत की जा रही धनराशि रूपये 775.00 करोड की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो के अधीन निर्गत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि आपके निवर्तन पर इस शर्त के साथ रखी जा रही है कि धनराशि का नगर निगमों, नगर पालिकाओं/नगर परिषदों/नगर पंचायतों के मध्य आवंटन पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णयानुसार किया जायेगा।

(2) आवंटित धनराशि कोषागार से आहरित कर निकायों को उपलब्ध कराई जाएगी।

(3) यदि किसी निकाय की समायोजन/कटौती की धनराशि शेष है, तो संबंधित निकाय को मिलने वाली उनके हिस्से की धनराशि में से समायोजन/कटौती किये जाने के उपरान्त ही अवशेष धनराशि संबंधित निकाय को आवंटित किया जाय।

(4) निकायों द्वारा धनराशि के आहरण की सूचना, वाउचर संख्या व दिनांक सहित, निदेशक, स्थानीय निकाय उनसे प्राप्त करेगें तथा संहत सूचना शासन के वित्त विभाग व नगर विकास विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

(5) नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन व निदेशक, स्थानीय निकाय, उ.प्र. द्वारा, उपरोक्तानुसार स्वीकृत व आवंटित की गयी धनराशि के उपयोग की समीक्षा की जायेगी ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-61 के अन्तर्गत निम्नांकित लेखाशीर्षकों के नामे डाला जायेगाः-

क्र0सं0	निकाय का नाम	लेखाशीर्ष
1	नगर निगमों हेतु	''3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन- 191-नगर निगमों को सहायता- 03-राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन- 0301-सामान्य समनुदेशन- 28-समनुदेशन''
2	नगर पालिकाओं/नगर परिषदों हेतु	''3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन- 192-नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता- 03-राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन- 0301-सामान्य समनुदेशन- 28-समनुदेशन''
3	नगर पंचायतों हेतु	''3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन- 193-नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समतुल्य निकायों को सहायता- 03-राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन- 0301-सामान्य समनुदेशन- 28-समनुदेशन''

भवदीय,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव।

संख्या- 38/2020/वी-2-240(1)/दस-2020-1/2020, तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग उ0प्र0 शासन।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4- मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ।
5- वित्त संसाधन (वित्त आयोग) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6- वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-9, उत्तर प्रदेश शासन।
7- नगर विकास अनुभाग-9, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।